संक्षिप्त प्रारूप

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद (छ.ग.)
बरोंडा बाजार महासमुंद

क्र./ 150 /जिपलाकों/रू.अभि./2022 महासमुंद दिनांक 31.01.2023

रूचि की अभिव्यक्ति

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत कौशल प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु इच्छुक योग्य एवं पंजीकृत संस्थानों से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थाए दिनांक 01.03.2023 समय दोपहर 03.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्ताव जमा की जा सकती है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह निदेशक
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
महासमुंद

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद (छ.ग.)
बरोंडा बाजार महासमुंद
//रुचि की अभिव्यक्ति//

आवेदन की अंतिम तिथि 01.03.2023 समय दोपहर 03.00 बजे तक
आवेदन पत्र खोलने की तिथि 01.03.2023 समय सायं 04.00 बजे तक

क्र./ 150 /जिपलाकॉ/रू.अभि./2022–23 महासमुंद दिनांक 31.01.2023

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण संचालन के लिए इच्छुक योग्य एवं पंजीकृत संस्थानों से ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है–

क्र	सेक्टर	योजना का नाम	रिमार्क
1	Healthcare	MMKVY/PMKVY	
2	Beauty & Wellness	MMKVY/PMKVY	
3	Food Processing	MMKVY/PMKVY	
4	Tourism & Hospitality	MMKVY/PMKVY	
5	Domestic Worker	MMKVY/PMKVY	
6	Apparel Made-ups & Home Furnishing	MMKVY/PMKVY	
7	Retail	MMKVY/PMKVY	
8	Automotive	MMKVY/PMKVY	
9	Management & Entrepreneurship and Professional	MMKVY/PMKVY	
10	Constructions	MMKVY/PMKVY	
11	Electronics & Hardware	MMKVY/PMKVY	
12	IT-ITeS	MMKVY/PMKVY	

क्र	सेक्टर	कोर्स	कोर्स कोड	रिमार्क
1	IT-Ites	Domestic Data Entry Operator	SSC/Q2212	उक्त सेक्टर के चयनित NSQF आधारित जॉब रोल/कोर्स जो पोर्टल पर उपलब्ध है छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
2	Furniture & Fittings	Assistant Carpenter-Wooden Furniture	FFS/Q0103	
3	Constructions	Constuctions Painter And Decorator	CON/Q0503	
4	Plumbing	General Plumber (Assistant)	PSC/Q0102	
5	Management& Entrepeneurship and professional	Office Assistant	MEP/Q0202	
6	Retail	Retail Trainee Associate	RAS/Q0103	
7	Electronics & Hardware	Mobile Phone Hardware Repair Technician	ELE/Q8104	
8	Apparel Made-ups & Home Furnishing	Sewing Machine Operator	AMH/Q0301	
9	Constructions	Mason General	CON/Q0103	

पं. क्र.- 5047
दिनांक 31.01.23

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐं

1. संस्था संबंधित उक्त सेक्टर/व्यवसाय में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता व्हीटीपी के रूप में पंजीकृत हो **अथवा**
2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त सेक्टर/व्यवसायों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्ट 1950/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत हो **अथवा**
3. उपरोक्त कोर्स विशेष से संबंधित व्यवसाय का ख्यात व्यवसायी हो जो प्रशिक्षण का अनुभव रखता है एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना रखता हो।

चयन का मापदंड

1. संस्था के पास राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदंडों के अनुरूप संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण संचालन हेतु पर्याप्त अधोसंरचना एवं उपकरण व अनुभव (**MMKVY/PMKVY** अथवा अन्य कौशल विकास योजना के अंतर्गत जारी कार्यादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा) तथा संबंधित कोर्स के लिए कुशल, अनुभवी, एवं योग्य प्रशिक्षक का **ToT Certified** होना अनिवार्य है।
2. प्रयोगशाला/क्लासरूम प्रशिक्षण के आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के अतिरिक्त On The Job (OJT) प्रशिक्षण देने की क्षमता एवं सुविधा एवं संस्था द्वारा हितग्राहीयों को मल्टी Skills करवाने का प्रबंध।
3. पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार/स्वरोजगार में नियोजन की सत्यापित जानकारी ।
4. संबंधित सेक्टर के कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने के पूर्व अनुभव।
5. संस्था द्वारा आवेदकों के मोबलाईजेशन व काऊंसिलिंग की पर्याप्त क्षमता।
6. प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित हितग्राहीयों का नियोजन करने हेतु नियोजक की (फोटोग्राफ्स, मोबाईल नंबर इत्यादि) सम्पूर्ण जानकारी।
7. संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा Blacklist नही किया गया हो। (100 रू के स्टाम्प में शपथ पत्र प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा निधि

संस्था द्वारा प्रति कोर्स 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) की दर से सुरक्षा निधि "डिमांड ड्राफ्ट" के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट **जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद** के पक्ष में निर्मित हो जो HDFC Bank , Branch Mahasamund में देय हो, उक्त सुरक्षा निधि राशि डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नही की जावेगी। केवल डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ही सुरक्षा निधि राशि स्वीकार्य होगी।

सामान्य शर्ते एवं दायित्व

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 10-30/2019/कौ.वि./42 दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा। संस्था के चयन उपरांत निर्धारित राज्य स्तरीय अनुबंध प्रारूप में लाईवलीहुड कॉलेज के साथ अनुबंध भी किया जाना होगा। जो एक प्रशिक्षण सत्र के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।
2. चयनित संस्था के अनुबंध निष्पादन पश्चात प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व राज्य शासन द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन के परिपालन में 50000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का "बैंक गारंटी"

जा. क्र.- 6047
दिनांक 31.01.23

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद के पक्ष में तैयार कर इस कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

3. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन हेतु तय मानको के तहत एवं समय–समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा। चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नही होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने बाध्य नही होगी।
4. संस्था जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद प्रबंधन द्वारा नियत समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
5. संस्था के पास संबंधित सेक्टर के कोर्स अनुसार राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदंडों के अनुरूप योग्यताधारी ToT Certified प्रशिक्षक, अन्य मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरण अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों/अन्य कर्मचारियों के बायोडाटा एवं उपकरणों की प्रमाणित सूची, फोटोग्राफ्स, संबंधित उपकरण के देयक (कोर्स जोड़े जाने हेतु) एवं कार्यालय के आवश्यकतानुसार वांछित जानकारी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
6. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी महासमुंद द्वारा उक्त सेक्टरों के संबंधित कुछ एक जॉब रोल में लैब सुसज्जित किया गया है। चयनित संस्था को शासन के नियमानुसार प्रशिक्षणार्थीयों के लिए Induction Kit (Uniform, Pen, Copy, Bag, ID Card) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था करनी होगी।
7. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रकिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थीयों की उपस्थिति, परिसर की साफ–सफाई, सुरक्षा एवं पेयजल व्यवस्था का दायित्व होगा।
8. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाये कि प्रशिक्षण गुणवत्तायुक्त व मानक अनुरूप नही है, तो अनुबंध तत्काल समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है।
9. लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन अपनी सुविधानुसार आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण चलाने हेतु स्वतंत्र होगा।
10. चयनित संस्था से अनुबंध होने के पश्चात् संबंधित ट्रेनिंग पार्टनर कॉलेज प्रबंधन की सुविधानुसार आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु बाध्य रहेगा। किसी कारणवश प्रशिक्षण संचालन नही किया जाता या प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पश्चात गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण नही होने /प्रशिक्षणार्थीयो की उपस्थिति शासन के नियमानुसार "बैच प्रारंभ होने के एक माह में न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थियों की औसत उपस्थित 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बैच निरस्त होने पर" अनुबंध निरस्त कर बैंक गारंटी राजसात की जावेगी।
11. प्रशिक्षणार्थीयो के मोबलाईजेशन, काउंसिलिंग, प्रशिक्षण, ओ.जे.टी., प्रमाणीकरण, नियोजन एवं नियोजन ट्रेकिंग की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित संस्था की होगी।
12. लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण स्थल एवं आवासीय प्रशिक्षण (जिसका निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जावेगा) की स्थिति में प्रशिक्षण स्थल एवं प्रशिक्षणार्थीयों के आवास की व्यवस्था की जावेगी। आवासीय एवं गैर आवासीय दोनो की स्थिति में प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक का समस्त लिपिकीय कार्य,अनुशासन व्यवस्था, साफ सफाई पेयजल एवं सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व चयनित संस्थाओं का संयुक्त रूप से होगा।
13. इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टॉफ को लाईवलीहुड कॉलेज के Code of Conduct एवं नियमों के अनुसार आचरण करना होगा।

जा.क्र.- 5047
दिनांक 31-01-23

चैनल पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात चयन हेतु गठित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जावेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर के जॉब रोल में ट्रेनिंग का अनुभव/ट्रेनिंग गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी/प्रशिक्षकों की योग्यता व ToT Certified एवं साफ्ट स्किल ट्रेनर आदि मापदंडों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने का अनुभव हेतु प्रपत्र–अ (i) में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र मे हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
3. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहीयों की संख्या हेतु **परिशिष्ट अ–(ii)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
4. ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहीयों के नियोजन हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति हेतु **परिशिष्ट–अ (iii)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
5. इच्छुक संस्थाए प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल हेतु प्रशिक्षित हितग्राहीयों के शत प्रतिषत नियोजन हेतु Tie-up किये गये कंपनी/संस्था/फर्मो/नियोक्ता का जानकारी **परिशिष्ट–अ(iv)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा। यहा पर उल्लेखनीय है कि संस्थाए Tie-up किये गये विभिन्न कंपनी/संस्था/ नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी या 100/– रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर पर Tie-up संस्थाओं से नियोजन किये जाने वाले हितग्राहीयों की संख्या देनी होगी। इसके बिना प्रस्तुत जानकारी पर विचार नही किया जावेगा।
6. इच्छुक संस्थाए प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल हेतु प्रशिक्षणार्थीयों के मोबेलाईलेशन एवं ओ.जे. टी. के लिए Tie-up किये गये कंपनी/संस्था/फर्मो/नियोक्ता की जानकारी **परिशिष्ट–अ (V)** में अवलोकनीय है के आधार पर ही निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित जमा किया जाना होगा।
7. इच्छुक संस्थाओं को गत तीन वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का **Turn Over** प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके लिए सी.ए. संस्था द्वारा तैयार ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी।
8. इच्छुक संस्थाओं को आवेदन किये गये संबंधित सेक्टर के जॉब रोल में प्रशिक्षण संचालन हेतु संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण देनी होगी, जो पॉवरपाईन्ट प्रेजेन्टेशन (अधिकतम 10 मिनट) के माध्यम से तैयार कर हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में संलग्न की जानी होगी। जिसमें मोबलाईजेशन, काउंसिलिंग, प्रशिक्षण, ओ.जे.टी. नियोजन एवं नियोजित हितग्राहीयों की 06 माह तक ट्रेकिंग हेतु रणनीति एवं कार्ययोजना को सम्मिलित किया जावे।
9. ट्रेनिंग पार्टनर के चयन **Score Metrix** के आधार पर प्राप्तांकों से किया जावेगा।(संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट "स" में अवलोकनीय है।)

आवेदन की प्रक्रिया

1- इच्छुक संस्थायें जिले के अधिकृत वेबसाईट www.mahasamund.gov.in से ई.ओ.आई. प्रपत्र एवं अन्य जानकारी डाउनलोड कर भी जमा कर सकते है। इस स्थिति में संबंधित संस्थाए आवेदन शुल्क के रूप में राशि 500/– रूपये का "डिमांड ड्राफ्ट" **जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद** के पक्ष में HDFC Bank, Branch Mahsamund में देय हो संलग्न कर जमा करेंगें। ई.ओ.आई. बिना आवेदन शुल्क के स्वीकार्य नही की जावेगी।

2- इच्छुक संस्थाए से मुहरबंद ई.ओ.आई. प्रस्ताव केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/सामान्य डाक/पंजीकृत कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार्य किये जावेंगे। आवेदन "कार्यालय, जिला पंचायत महासमुंद, जिला महासमुंद पिन 493445" के पते पर भेजा जाना होगा। व्यक्तिगत रूप से ई.ओ.आई. प्रस्ताव जमा नही ली जावेगी। ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथी 01.03.2023 .....को समय 03.00 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी। डाक/कोरियर के विलम्ब से प्राप्त होने वाले ई.ओ.आई. को सम्मिलित नही किया जावेगा। विलम्ब से प्राप्त ई.ओ.आई. के लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद जिम्मेदार नही होगा।

3- निर्धारित तिथि तक प्राप्त मुहरबंद ई.ओ.आई. को उसी दिन या कार्यालय के सुविधानुसार समिति के समक्ष खोला जावेगा। ई.ओ.आई. खोलते समय इच्छुक संस्था प्रमुख अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी भी उपस्थित रह सकते है।

4- सुरक्षा निधि राशि चयनित/सफल संस्थाओं को रोककर शेष को 15 दिवस के भीतर मूल स्वरूप में वापस लौटा दी जायेगी। इसके लिये ब्याज आदि देय नही होगी। सफल/चयनित संस्थाओं का चयनित सेक्टर के जॉब रोल के लिए जमा की गई सुरक्षा निधि राशि अनुबंध वैधता तिथि तक के लिए इस कार्यालय में जमा रहेगी। अनुबंध समाप्त होने के पश्चात जमा सुरक्षा निधि राशि वापस की जावेगी। जिसके लिए कोई ब्याज आदि का भुगतान नही किया जावेगा।

5- संस्थायें प्रत्येक सेक्टर में जॉब रोल हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में सेक्टर एवं संबंधित जॉब रोल (कोर्स) का उल्लेख किया जाना होगा। साथ ही आवेदित संस्था का नाम व पूर्ण पता मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।

6- मुख्य मुहरबंद लिफाफा के अंदर **परिशिष्ट–अ** (सामान्य जानकारी), **परिशिष्ट–अ (i)** (पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण अनुभव), **परिशिष्ट–अ (ii)** (पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहीयों की संख्या), **परिशिष्ट–अ (iii)** (पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहीयों के नियोजन का विवरण), **परिशिष्ट–अ (iv)** (प्रस्तावित कोर्स के लिए प्रशिक्षित हितग्राहीयों के नियोजन हेतु विभिन्न टाई–अप कंपनियों का विवरण), **परिशिष्ट–अ (v)** (मोबलाईजेशन एवं ओजेटी हेतु टाई–अप कंपनीयों का विवरण), **परिशिष्ट–ब** (प्रशिक्षक व अन्य स्टाफ की जानकारी) आदि आवश्यक जानकारी संलग्न की जानी होगी।

शुल्क का भुगतान एवं शर्ते

01. **प्रशिक्षण लागत दर निर्धारण –** मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अनुरूप देय होगा एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर कार्यालय, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर द्वारा निर्धारित दर अथवा ऑनलाईन पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थीयों के पंजीयन दौरान प्रदर्शित दर (दोनो में जो कम हो) अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जावेगा।

02. **प्रशिक्षण राशि का विभाजन –** छ.ग.राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के पत्र क्र/914/रापलाकासो/स्था./2020–21 रायपुर, दिनांक 28.01.2021 द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु दिशा निर्देश जारी की गई है, निर्देशानुसार :–

पं.क्र.- 5047
दिनांक 2/01/23

<table>
<tr><td rowspan="3">S.No</td><td rowspan="3">Lab Setup Cost</td><td rowspan="3">Training Cost (%)</td><td colspan="2">A. Availability of Building
- Livelihood college
B. Trainer & Lab Setup, Tools, Instrument Necessary Row Material
- Training Partner</td><td colspan="2">A. Building & Lab Setup
- Livelihood college
B. Arrangements of Trainer & Necessary Row Material For Lab
- Training Partner</td></tr>
<tr><td colspan="4">Payment of Training Cost Percentage (%)</td></tr>
<tr><td>Livelihood College</td><td>Training Partner</td><td>Livelihood College</td><td>Training Partner</td></tr>
<tr><td>1</td><td>If Greater than 10 Lakh</td><td rowspan="2">100</td><td>10</td><td>90</td><td rowspan="2">30</td><td rowspan="2">70</td></tr>
<tr><td>2</td><td>If Less than 10 Lakh</td><td>15</td><td>85</td></tr>
</table>

03. लाईवलीहुड कॉलेज व ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य विभाजन राशि के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा अनुपात यदि विभाजन राशि नियम में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में नियम के प्रभावी होने के दिनांक से या उसके बाद प्रारंभ होने वाले समस्त प्रशिक्षण बैचों में राशि का भुगतान नवीन नियम के अनुसार किया जावेगा।

04. प्रशिक्षण राशि का भुगतान राज्य कार्यालय द्वारा जारी अद्यतन गाईडलाईन के आधार पर भुगतान किया जावेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रावधानिक दिशा–निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देश यथावत रहेगा।

05. MMKVY योजनांतर्गत प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित प्रायोजक विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरांत के अनुपात के अनुसार नवीन गाईडलाईन में किये गये प्रावधान की कंडिका–25 अनुसार देय होगा।

06. मुल्यांकन शुल्क का भुगतान :– MMKVY& PMKVY योजनांतर्गत Assesment & Certification Fee का भुगतान चयनित एवं संबंधित ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किया जावेगा।

07. प्रशिक्षणार्थीयो का मोबलाईजेशन, काउंसिलिंग, प्रशिक्षण, ओ.जे.टी., प्रमाणीकरण, नियोजन एवं नियोजन ट्रेकिंग का जिम्मेदारी पूर्णतः ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।

08. ट्रेनिंग पार्टनर को नियमानुसार देय राशि का भुगतान नवीन गाईडलाईन की कंडिका–25 अनुसार देय होगा।

09. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर महासमुंद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा निरस्त करने /लोकहित में ऊपर वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार सहायक परियोजना अधिकारी लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद के पास सुरक्षित है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह निदेशक
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज
महासमुंद

क्र. 5047
दिनांक 31/01/23

परिशिष्ट–अ

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज महासमुंद के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" आवेदन पत्र

सेक्टर का नाम ....

जॉब रोल/कोर्स का नाम (कोर्स कोड सहित)..

1. संस्था का नाम :–..

   (पूर्ण पता दूरभाष एवं फैक्स नंबर, ई–मेल सहित) :–..

   :–..

2. संस्था का व्हीटीपी क्रमांक/फर्म/सोसायटी का पंजीयन क्रमांक

   :–..

   (यदि संस्था एक से अधिक स्थलों में व्हीटीपी के :–..
   रूप में पंजीकृत है तो सभी की जानकारी, संस्था :–..
   प्रमुख के नाम, पता, दूरभाष नंबर की जानकारी देवें):–..

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– जिला.................................सम्पूर्ण छ.ग. प्रदेश

4. संस्था किन–किन कोर्सों में :–..
   प्रशिक्षण हेतु व्हीटीपी के रूप :–..
   में पंजीकृत है उल्लेख करें। :–..

5. संबधित कोर्स के लिए प्रशिक्षकों व :–..
   अन्य मानव संसाधन की जानकारी :–..
   संलग्न करें (परिशिष्ट 'ब' अनुसार)

6. संबंधित सेक्टर के कोर्स संचालन :–..
   हेतु संस्था का पूर्व प्रशिक्षण अनुभव :–..
   की सूची संलग्न करें (परिशिष्ट 'अ'(i) अनुसार)

7. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहीयो की संख्या:–..
   (परिशिष्ट 'अ'(ii) अनुसार)

8. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहीयों की :–..
   नियोजन जानकारी (परिशिष्ट 'अ'(iii) अनुसार)

9. संबंधित कोर्स में हितग्राहीयों के लिए :–..
   नियोजन जानकारी (परिशिष्ट 'अ'(iv) अनुसार)

10. प्रशिक्षणार्थीयो की मोबलाईजेशन :–..
    प्रक्रिया का संक्षिप्त कार्ययोजना संलग्न करें

11. मोबलाईजेशन एवं ओजेटी हेतु :–..
    टाई–अप कंपनियो का विवरण (परिशिष्ट 'अ'(v) अनुसार)

12. अभ्यर्थीयो को संस्था द्वारा उपलब्ध :–..

5047 31/1/23

कराये जाने वाले अतिरिक्त सुविधाए :–..

मल्टी सर्टिफिकेशन आदि की जानकारी

13. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन :–..

(विगत तीन वर्षो का) :–..

14. संस्था का TAN/PAN/GSTNप्रमाणित :–..

प्रति संलग्न करें

15. संस्था का विगत तीन वर्षो का :–..

(वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 के आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करें)

16. सुरक्षा निधि की राशि डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक..............................दिनांक..............................

बैंक का नाम..

17. निर्धारित आवेदन शुल्क राशि 500/– का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा रहा हो तो

डी.डी नंबर..............................दिनांक..............................

बैंक का नाम..............................शाखा का नाम..............................

18. अन्य विवरण :–..

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

टिपः– आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।

घोषणा पत्र

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता है कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य है। चैनल पार्टनर के रूप में चयन कि स्थिति में समस्त निर्देशों का पालन संस्था करेगी।

स्थान :..............................

दिनांक:..............................

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट –'अ' (i)

पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल	कार्यानुभव (वर्ष में)	योजना / विभाग का नाम	कार्यक्षेत्र (ग्राम / शहर, ब्लॉक,जिला,प्रांत) स्पष्ट उल्लेख करें	रिमार्क (अनुभव में दर्शित अवधि के लिए संबंधित योजना / विभाग से अधिकृत कार्यादेश / अनुबंध की प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

स्थान :–...............................

दिनांक :–...............................

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट –'अ' (ii)

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहीयों की संख्या विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल	योजना	वर्ष	प्रशिक्षित हितग्राही संख्या	रिमार्क (संबंधित कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राही संख्या हेतु पोर्टल प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

स्थान :–.............................

दिनांक :–.............................

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट –'अ' (iii)

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन (रोजगार एवं स्वरोजगार) की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल	योजना	वर्ष	प्रशिक्षित हितग्राही संख्या	नियोजन			रिमार्क (नियोजन की पोर्टल प्रति संलग्न करें)
						रोजगार	स्वरोजगार	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान :–.............................

दिनांक :–...........................

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट –'अ' (IV)

प्रस्तावित कोर्स के नियोजन हेतु टाई–अप कंपनियो की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल	प्रस्तावित हितग्राहियों की संख्या	नियोजन				रिमार्क (संबंधित कंपनी से अनुबंध / स्टाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
				Industrial Linkage / रोजगार हेतु Tie-up Company				
				आवश्यक रिक्तियों की संख्या	पदनाम	कंपनी / नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	मोबाईल नंबर व ई–मेल आई डी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान :–..............................

दिनांक :–............................

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट –'अ' (v)

मोबेलाईजेशन एवं ओजेटी हेतु टाई–अप कंपनियों की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल	प्रस्तावित हितग्राहियों की संख्या	ओजेटी / मोबेलाईजेशन हेतु टाई–अप कंपनी / संस्था का विवरण			रिमार्क (संबंधित कंपनी से अनुबंध / स्टाम्प पेपर पर एक्ताशय दस्तावेज संलग्न करें)
				कंपनी / नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	मोबेलाईजेशन संख्या (प्रतिमाह)	ओजेटी में भेजे जाने वाली हितग्राहियों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थान :–.............................

दिनांक :–...........................

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

परिशिष्ट –'ब'

प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों की जानकारी

क्र	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता	जॉब रोल	कार्यानुभव	ToT उत्तीर्ण तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

संबंधित कोर्स संचालन हेतु अन्य स्टाफ की जानकारी

क्र.	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	मोबेलाईजर/काउंसलर				
2					
3	प्लेसमेंट कोआर्डिनेटर				
4					
5	कार्यालय सहायक				
6					
7	अन्य स्टाफ				
8					

स्थान :–.............................

दिनांक :–.............................

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

रे.क्र.– 5047
दिनांक 31/01/23

परिशिष्ट –'स'

ट्रेनिंग पार्टनर (प्रशिक्षण भागीदार) के चयन हेतु Score Metrix

क्र	विवरण	स्कोर विभाजन	अधिकतम स्कोर	आवश्यक प्रपत्र
1	पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव	1<2 वर्ष – 6 2-4 वर्ष – 8 >4 वर्ष – 10	10	अनुभव में दर्शित अवधि के लिए संबंधित योजना/विभाग से अधिकृत कार्यादेश/अनुबंध की प्रति संलग्न करेंगे
2	पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	001–200 – 6 201–400 – 8 >400 – 10	10	संबंधित कोर्स में प्रशिक्षित हितग्राही संख्या हेतु पोर्टल प्रति संलग्न करें
3	रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति	20–50 – 5 51–100 – 10 101–200 – 15 > 200 – 20	20	नियोजन की पोर्टल प्रति संलग्न करें
4	Industrial Linkage/रोजगार कंपनी से Tie-up	05–15 – 10 16–30 – 20 >30 – 30	30	संबंधित कंपनी से अनुबंध/स्टाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें
5	Moblization&OJT (On Job Training)	Tie-up With Company	10	संबंधित कंपनी से अनुबंध/स्टाम्प पेपर पर उक्ताशय का दस्तावेज संलग्न करें
6	संस्था का Turn Over	50000.00 से कम - 0 50001.00 से 200000.00 -1 200001.00 से 400000.00 -2 400001.00 से 600000.00 -3 600001.00 से 800000.00 -4 800001.00 से 1000000.00 -5 1000001.00 से 2000000.00 -6 2000001.00 से 3000000.00 -7 3000001.00 से 4000000.00 -8 4000001.00 से 5000000.00-9 5000001.00 से अधिक -10	10	Attach CA Certified Financial Statement Or Audit Report Or ITR of Last Three Consecutive Years
7	प्रशिक्षण की कार्ययोजना	Presentation	10	PPT Presentation Maximum 10 Minutes

क्र.- 5047
दिनांक 21/01/23